

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टिदिनांक

128 / 2015
19-10-2015

आरेफा पत्नि उबेदुरहमान उर्फ लाडले मियाँ निवासी टोंक शर्की टोंक जिला-टोंक राज०
-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला- टोंक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 7-8-2015



- उपस्थिति: (1) श्री पवन कुमार जैन अपीलान्ट की ओर से
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 8-2-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 7-8-2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा भूमि कस्बा शर्की टोंक में से जो अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काशत की है, उक्त भूमि में तहसीलदार टोंक ने अपीलान्ट का अवैध निर्माण/चारदिवारी मानकर अपीलान्ट को बेदखल करने, तथा निर्माण को हटाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को विधि विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में सुरक्षा की दृष्टि से एवं हर प्रकार के नुकसान व नाजायत कृत्यों से बचने के लिए कृषि प्रयोजनार्थ उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए चार दिवारी बनाई है जो किसी प्रकार कृषि से अकृषि की परिभाषा में नहीं आती है। सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार चारों तरफ बनाई गई डोल तारबन्दी बनाना नियमों के विपरीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर किसी प्रकार का पक्का कमरा नहीं बनाया है। सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाना राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान

जिला कलेक्टर
टोंक



किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के अभिभाषक ने यह भी अंकित किया है कि हमारे खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि में केवल चार दिवारी बनी हुई है कोई पक्का कमरा नहीं बना हुआ है पक्के कमरे का निर्माण खसरा नम्बर 5465/1 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 5465/2 रकब 0.05 में पुखता चार मकान बने हुए है जो भूमि हमारी नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस सम्बन्ध ने अपीलान्त ने दिनांक 23-7-2015 को जवाब पेश कर दिया था किन्तु तहसीलदार ने जवाब पर ध्यान नहीं दिया एवं एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया। निर्णय के बारे में भी नहीं बताया दिनांक 7-9-2015 को अपीलान्त का प्रतिनिधि जब तहसील कार्यालय में गया तब निर्णय के बारे में लता लगा। अपीलान्त ने अवलिम्ब नकल की दरखास्त पेश कर नकल प्राप्त की एवं दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7-9-2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अपीलान्त ने खसरा नम्बर 5463 रकबा 3.03 बीघा वाके कस्बा शर्की पर चारों ओर पक्की दीवार निर्मित कर रखी है ओर खसरा नम्बा 5464 रकबा 0.01 बीघा गैर मुमकिन चाह भी उक्त चार दिवारी में स्थित है। मौके पर उक्त खसरा पड़त पड़ा है वहाँ पर किसी तरह को कोई कृषि कार्य नहीं है ओर कृषि से सम्बन्धित कोई खसरा गिरदावरी या किसी तरह के कोई साक्ष्य सबूत अपीलान्त द्वारा पेश नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा भूमि किना संपरिवर्तन करये कृषि कार्य के अतिरिक्त अकृषि उपयोग में ली जा रही है। तहसीलदार टोंक का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की लिखित बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 7-8-2015 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि कस्बा शर्की टोंक में से जो अपीलान्त की खातेदारी व कब्जे काशत की है में अपीलान्त का अवैध पक्के कमरे का निर्माण व भूमि के चारों ओर पक्की चारदिवारी बनाने पर अपीलान्त को बेदखल करने, तथा निर्माण को हटाने का निर्णय पारित किया है। जबकि कि अपीलान्त का कथन है कि हमारे खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि में केवल चार दिवारी बनी हुई है कोई पक्का कमरा नहीं बना हुआ है। पक्के कमरे का निर्माण खसरा नम्बर 5465/1 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 5465/2 रकब 0.05 में पुखता चार मकान बने हुए है जो भूमि हमारी नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार टोंक से की रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र कमांक 944 दिनांक 4-7-2019 से पटवारी हल्का की मूल मौका रिपोर्ट प्रेषित की है जिससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 5465/1 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 5465/2 रकब 0.05 में पुखता चार मकान बने हुए है व खसरा नम्बर 5463 में पक्की चार दिवारी हो रखी है। परोकार सरकार ने भी अपनी लिखित बहस दिनांक 05.02.2021 के पैरा नम्बर 2 में अपीलांत द्वारा विवादित भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण करना अंकित किया है। तहसीलदार तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट में विरोधाभास होने से प्रकरण में हम हस्तक्षेप



✓
जिला कलेक्टर
टोंक

करना उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7-8-2015 अपारस्त किया जाता है एवं तहसीलदार टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौके की जांच करें तथा अपीलान्त को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। .

निर्णय आज दिनांक 8-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। ✓

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

